

प्रायः यह देखने में आया है कि व्यय नियन्त्रण हेतु समय समय पर जारी निर्देशों के पश्चात् भी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित बजट आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक व्यय कर दिया जाता है जिसके कारण वित्त विभाग से स्वीकृत अन्तिम अनुदानों से अधिक व्यय हो जाता है इस प्रकार के अधिक व्यय को महालेखाकार एवं जन सेवा समिति ने आपत्तिजनक माना है इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से निरन्तर निर्देश दिये जाते रहे हैं कि बजट प्रावधानों से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे ।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते हैं किसी भी प्रकरण में बजट/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय नहीं किये जावें यदि किसी मामले में बजट आवंटन/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक हो तो अतिरिक्त बजट आवंटन/संगोपन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यय किया जावे । इसी प्रकार यदि किसी कार्य के निष्पादन के कारण अधिक कार्य/ अतिरिक्त कार्य करवाया जाना आवश्यक हो तो इसके लिए भी पी. डब्ल्यू. एफ. स्पड स. आर. / पी. डब्ल्यू. मनुअल में दिये गये निर्देश/प्रक्रिया के अनुसार तक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही इस प्रकार के मदों के कार्यों का निष्पादन करवाया जावे ।

इन आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे अन्यथा विपरीत द्वाा में कार्यवाही होने पर इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

*E. K. Singh*  
 मुख्य अभियन्ता 7/8/2002  
 सा. नि. वि. राज. जयपुर

- प्रतिलिपि सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 18 निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज जयपुर ।
  - 28 मुख्य अभियन्ता पथ/रा. उ. मा. / विरोधाधिकारी सा. नि. वि. / मुख्य लेखाधिकारी सा. नि. वि. ।
  - 38 तकनीकी सहायक एवं अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/पथ/भवन/रा. उ. मा. सा. नि. वि.
  - 48 अति. मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. संभाग समस्त ।
  - 58 अधीक्षण अभियन्ता सा. नि. वि. वृत्त समस्त ।
  - 68 अधिशाही अभियन्ता सा. नि. वि. बण्ड समस्त ।
  - 78 अनुभाग अधिकारी समस्त अनुभाग सा. नि. वि. ।

(1A)

3664  
 20.8.02  
 D.A.  
 LIA  
 EE  
 Copy to all AEs & Auditors J.R. Archt

*E. K. Singh*  
 मुख्य अभियन्ता  
 सा. नि. वि. राज. जयपुर 7/8/2002  
 copy forwarded to the following for information & strict comp. pl.  
 1 AEM/PWD Sub. Mohar Bhadra, RWSR  
 2 Auditor Mohar, Bhadra, RWSR, J.R. Archt  
 3 copy for U/S

अधिशाही अभियन्ता  
 सा. नि. वि. बण्ड